निःशुल्क विधिक सहायता के लिए किनसे मिलें?

जिस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता हो, वह राष्ट्रीय, राज्य, जिला अथवा ताल्लुक किसी भी स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण से मिल सकता है। सहायता के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से अनुरोध किया जा सकता है :

- मंडल/ताल्लुक विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नाम–निर्देशित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश;
- जिला स्तर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी;
- राज्य स्तर पर सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति;
- उच्चतर स्तर पर सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति;
- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव;
- मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष अभियुक्त प्रस्तुत किया जाता है; अथवा
- यदि बन्दी होने पर अभिरक्षा प्राधिकारियों से।

कैसे सम्पर्क करें?

- सम्बन्धित प्राधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया जा सकता है;
- यदि आवेदक पढ़ या लिख नहीं सकता है तो विधिक सेवा प्राधिकारी उस आवेदक के बयान को दर्ज करेगा और उस पर उसके अंगूठे का निशान लेगा। ऐसे बयान को आवेदन समझा जाता है;
- विधिक सहायता का दावा करने वाले व्यक्ति को अपनी आय के सम्बन्ध में एक शपथ पत्रा (एफिडेविट) देना होता है।

सहायता प्रक्रिया में शामिल चरण :

- पत्राता मानदंड तथा मामले के गुणों की जांच की जाती है;
- यदि विधिक सहायता के आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो अस्वीकार करने के कारणों को समुचित रूप से रिकार्ड किया जाता है तथा आवेदक को इसकी सूचना दी जाती है;
- आवेदक को अधिकार है कि वह ऐसी अस्वीकारोक्ति के खिलाफ निर्णय के लिए विधिक सहायता समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील करें।

सहायता प्राप्त व्यक्ति के कर्तव्य:

सहायता प्राप्त व्यक्ति को:

- विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिए निर्देशों का पालन करना चाहिए;
- जब कभी भी आवश्यक हो समिति के कार्यालय अथवा न्यायालय तथा उसके लिए नियुक्त वकील के समक्ष उपस्थित होना चाहिए;
- विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील को सम्पूर्ण तथा सत्य जानकारी देनी चाहिए;
- विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील को किसी भी प्रकार के शुल्क अथवा खर्चे का भुगतान नहीं करना चाहिए।

लोक अदालत

लोक अदालत ऐसा न्यायिक निकाय है, जिसका गठन, मुकदमें में शामिल पार्टियों के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान सुलभ कराने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे सामान्य सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है जैसे कि समन भेजना, साक्ष्य की जांच आदि।

ठसके आदेश अन्य न्यायालय के आदेश के समान होते हैं, परन्तु पार्टियां ऐसे आदेश के खिलाफ अपील नहीं कर सकती है। लोक अदालत, आपराधिक मामलों को छोड़कर, जो गैर–शमनीय होते हैं, सभी मामलों को सुलझा सकता है।

मुकदमें में शामिल पार्टियों में से कोई एक या दोनों मामले को लोक अदालत में हस्तांरित करने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं।

लेक अदालत द्वारा मामले में समझौता या समाधान न करा पाने की स्थिति में ऐसा मामला न्यायालय को हस्तान्तरित कर दिया जाता है तथा न्यायालय उस मामले पर सुनवाई उस चरण से आरम्भ करती है जहां तक लोक अदालत पहुंची थी।

सी.एच.आर.आई. के संबंध में

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्दे य कॉमनवेल्थ दे ों में मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप से हासिल करने को बढ़ावा देना है। सी.एच.आर.आई. मानव अधिकार मानदंडों के अधिक से अधिक अनुपालन की वकालत करता है।

फिलहाल हम निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं: :

- पुलिस सुधार
- कारागार सुधार
- सूचना का अधिकार
- नीतिगत पहल संबंधी कार्यक्रम
- कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवनमिंट मिटींग (सी.एच.ओ.जी.एम.) की रिपोर्ट

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी–117, दूसरा तल,
सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली110017, भारत
फोनः +91 011 43180200, 43180225–299
फैक्सः +91 011 26864688
ई-मेलः info@humanrightinitiative.org
वेबसाईटः http://www.humanrightsinitiative.org

सहायता और सलाह विधिक

पुलिस और आप

अपने अधिकार जानिए

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव

विधिक सहायता का अर्थ है ऐसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सुविधाएं प्रदान करना जो किसी अदालत, न्यायाधिकरण अथवा किसी प्राधिकरण के समक्ष किसी केस की सुनवाई अथवा विधिक कार्यवाही के लिए किसी वकील की सेवा लेने में असमर्थ हैं।

विधिक सहायता सम्बन्धी अधिकार

- यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि इसके सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो सके। राज्य को, उन नागरिकों के लिए, जो आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

(भारत का संविधान अनुच्छेद 39क)

- यदि अभियुक्त के पास किसी वकील की सेवा लेने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो अदालत को अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर एक वकील उपलब्ध कराना चाहिए।

(धारा 304, दंड प्रक्रिया संहिता)

- अभियुक्त को मैजिस्ट्रेट के सामने पहली बार प्रस्तुत करते ही विधिक सहायता प्रदान करने का सांविधानिक कर्तव्य प्रारम्भ हो जाता है और जब तक उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यह कर्तव्य जारी रहता है।

(खत्री प् बनाम बिहार राज्य, (1981) 1 एस.सी.सी. (1981) 1, एस. सी.सी.; (दंड) 228 1981 क्रि. एल.जे. 470)

- अपनी सजा के खिलाफ अपील करने योग्य किसी भी व्यक्ति को, अपील के कागजात तैयार करने तथा पैरवी करने के लिए एक वकील की सेवा की मांग करने का अधिकार है।

(माधव हयवन्दनराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 एस.सी.सी. 544) (संविधान के अनुच्छेद 21 और 39क सहित पठित अनुच्छेद 142)

पुलिस तथा न्यायालयों के कर्तव्य

- पुलिस को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरन्त बाद ऐसी गिरफ्तारी की सूचना नजदीकी विधिक सहायता समिति को देनी चाहिए।

(शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य)

- मजिस्ट्रेटों और सत्रा–न्यायाधीशों को, प्रत्येक ऐसे अभियुक्त जो उसके समक्ष उपस्थित होता है तथा जो अपनी गरीबी अथवा निर्धनता के कारण अपने मामले के लिए वकील की सेवा नहीं ले सकता, यह जानकारी अवश्य देनी चाहिए कि वह राज्य के खर्चे पर निःशुल्क विधिक सेवा लेने का हकदार है।

- जब तक कि निर्धन अभियुक्त इन्कार न करे उसे विधिक सहायता प्रदान करने में असफलता केस की सुनवाई को निष्प्रभावी कर सकती है। इसके फलस्वरूप दोषसिद्धी और सजा **रद्द** हो सकती है।

(सुक दास बनाम अरूणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रा (1986) 2 एस.सी.सी. 401; 1986 एस.सी.सी. (दंड) 166)

कौन व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार है?

निम्नलिखित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं :

- जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का है;
- निर्धन है (जिसकी वार्षिक आय उच्चतम न्यायालय में मामलों के लिए 50000 रु. और अन्य न्यायालयों में 25000 रु. से अधिक नहीं है);
- मानवों के अवैध व्यापार से पीड़ित है अथवा भिखारी है;
- जो शारीरिक या मानसिक रूप से निःशक्त है;
- महिला अथवा बच्चे;
- व्यापक विनाश, जातिय दंगा, जातिय प्रताड़ना, बाढ़, सूखे, भूकम्प, औद्योगिक विनाश तथा अनपेक्षित अभावों से प्रभावित व्यक्ति;
- औद्योगिक कर्मकार;
- सुरक्षात्मक अभिरक्षा सहित सभी प्रकार की अभिरक्षा में रखे व्यक्ति;
- वैसे व्यक्ति जो गरीबी, दरिद्रता तथा सम्पर्क स्थापित न कर सकने के कारण वकील की सेवा नहीं ले सकते हैं और विधिक सेवा नहीं प्राप्त कर सकते हैं;

उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त विधिक सेवाएं निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जा सकती है:

- अत्यधिक लोक महत्व के मामलों में;
- विशेष मामलों में, जिनमें विधिक सेवाओं की आवश्यकता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं:

- न्यायालय तथा अन्य प्रक्रियात्मक शुल्कों का भुगतान;
- किसी विधिक कार्यवाही की तैयारी, प्रारूप तैयार करने और उसे दायर करने के शुल्क का भुगतान;
- अधिवक्ता, विधिक सलाहकार का शुल्क;
- डिक्री, निर्णय, आदेश की प्रति अथवा विधिक कार्यवाही सम्बन्धी अन्य कागजात प्राप्त करने का खर्च;
- मुद्रण, अनुवाद आदि सहित कागजी कार्यो का खर्च।

वैसे मामले जिनके लिए विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है?

- मानहानि, द्वेषपूर्ण अभियोजन, न्यायालय की अवमानना, शपथ भंग आदि से सम्बन्धित मामलें;
- चुनाव से सम्बन्धित कार्यवाही;
- ऐसे मामलें जिसमें 50 रुपए से कम का दंड लगाया जा सकता है;
- आर्थिक अपराध और सामाजिक कानूनों के खिलाफ अपराध;
- वैसे मामले जिसमें विधिक सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कार्यवाही से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है तथा यदि समुचित विधिक सहायता नहीं मिली तो उसके हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विधिक सेवाएं अस्वीकार की जा सकती हैं? यदिः

- आवेदक के पास न्याय प्राप्त करने के पर्याप्त साधन हैं;
- आवेदक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है;
- आवेदक के विधिक कार्यवाही के लिए दिए गए आवेदन में योग्यता नहीं है।

विधिक सेवाएं कब वापस ली जा सकती हैं?

विधिक सेवा समिति, दी जा रही विधिक सेवाओं को वापस ले सकती है, यदिः

- सहायता छूटे निवेदन अथवा धोखे से प्राप्त की गई हो;
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन आया हो;
- सहायता प्राप्त व्यक्ति कोई दुराचार अथवा उपेक्षा का दोषी पाया जाता है;
- सहायता प्राप्त व्यक्ति उसे आवंटित वकील के साथ सहयोग नहीं करता है;
- सहायता प्राप्त व्यक्ति किसी और वकील की सेवा लेता है;
- सहायता प्राप्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सिर्फ सिविल मामलों को छोड़कर;
- कार्यवाही, विधिक प्रक्रिया अथवा विधिक सेवा का दुरूपयोग प्रतीत होता है।

दी गई सहायता की वसूली :

जब विधिक सहायता वापस ली जाती है तो समिति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह दी गई विधिक सेवाओं के खर्चे की वसूली करे।